न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2018, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. जगदीश पुत्र रेवड
2. जगन्नाथ पुत्र रेवड

} जाति मीणा निवासी ग्राम बाडौली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा जिला दौसा, श्री गोरधन लाल शर्मा आर.ए.एस.।
2. रामराय पुत्र किशोर
3. जगदीश पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या
4. प्रभुदयाल पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या
5. बद्रीलाल पुत्र हरजी
6. चिरंजीलाल पुत्र हरजी
7. पूनीराम उर्फ पून्या
8. नारायणी पत्नि हरजी

} जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बाडौली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

9. रामचन्द्र पुत्र श्रीनारायण
10. गजानन्द पुत्र श्रीनारायण
11. रामेश्वर पुत्र श्रीनारायण
12. सीताराम पुत्र श्रीनारायण

} जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बाडौली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में लम्बित वाद सं0 12/2017 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 सरकार बनाम जगदीश व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु स्थानान्तरित करने बाबत्।

उपस्थिति : श्री बलराम मीना अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री कैलाश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 लगा0 12 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक 26.2.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रकरण सं0 12/2017 एवं प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सरकार बनाम जगदीश विचाराधीन है। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 13 मिलीभगत करके धमकी देते है कि उपखण्ड अधिकारी से हमारी रिश्तेदारी व जान पहचान है। हम जो चाहेंगे वो फैसला करवाकर रहेंगे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता तारीख पेशी पर धमकी व लडाई झगडा करते है व तारीख पेशी भी आर्डरशीट पर देने के बाद बदलते रहते है। प्रार्थीगण पर अनावश्यक हर्जाना अधिकारी द्वारा लगाया जाता है। प्रार्थी अनूसूचित जनजाति के सदस्य हैं व अप्रार्थी सवर्ण जाति के सदस्य है। अप्रार्थीगण की धमकी से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी सं0 1 से न्याय की उम्मीद नही है। अतः प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा प्रकरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थी सरकार न ना तो कोई वकील नियुक्त किया है न ही कोई उपस्थित होता है जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता तारीख पेशी पर धमकियां व लडाई झगडा करते है। तारीख पेशी भी आर्डर शीट पर देने के बाद बदलते रहते है तथा प्रार्थीगण पर अनावश्यक हर्जाना पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाया जाता है। उक्त तथ्यों से पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्रार्थियों को न्याय की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 लगायत 12 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा पर व प्रत्युत्तर दाता के खिलाफ झूंठे लांछन लगाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण एवं मिन अप्रार्थीगण के मध्य प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व से ही तीन प्रकरण चले आ रहे थे। जिनका निर्णय दिनांक 29.9.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा कर दिया गया था, उसी की पालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा ने प्रकरण धारा 175 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तो केवल मात्र एग्जीक्यूशन की कार्यवाही है निर्णय तो पूर्व में ही हो चुके है जो न्यायालय निर्णय पारित करती है वही न्यायालय एग्जीक्यूशन की कार्यवाही कर सकती है। इसके सम्बन्ध में अन्य न्यायालय को कोई अधिकार नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.9.2017 को जो निर्णय पारित किया गया है उसके खिलाफ केवल मात्र अपीलीय न्यायालय ही सुनवाई कर सकती है। अप्रार्थीगण की कोई रिश्तेदारी उपखण्ड अधिकारी से नही है। इस प्रार्थना पत्र स्थानान्तरकण के प्रार्थीगण द्वारा जो निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.2017 की अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष जो पेश की गयी थी वह अपील भी खारिज हो चुकी है। प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से ही प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है जिसे खारिज फरमावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित टिप्पणी में अवगत कराया गया है कि उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगदीश व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मु0 नं0 12/2017 उनके न्यायालय में दर्ज रजिस्टर होकर जैरकार है। प्रकरण में तारीख पेशी में सरकार जरिये तहसीलदार उपस्थित रहते है। प्रकरण न्यायालय में दिनांक 9.11.2017 को दर्ज हुआ जिसमे प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थी जगदीश, जगन्नाथ द्वारा जवाब पेश नही किया गया जिसके उपरान्त दिनांक 21.12.2017 को पीठासीन अधिकारी द्वारा जवाब हेतु अंतिम अवसर 1100 रूपये कोस्ट पर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर तारीख

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

पेशी आर्डरशीट पर देने के बाद बदलने का जो आरोप लगाया गया है बेबुनियाद और मनगढंत होना तथा प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण तथा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात् प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किये जाने का कोई उचित कारण नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को तहरीर भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा